न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 24/2016

अपीलांट

1. स्व. कासूराम पुत्र आसाराम के कायम मुकाम
   1/1 रतनाराम पुत्र स्व. कासूराम
   1/2 हरीराम पुत्र स्व. कासूराम
   1/3 जगमालराम पुत्र स्व. कासूराम
   1/4 रूगनाथराम पुत्र स्व. कासूराम
   1/5 विजयचंदन पुत्र कासूराम
   1/6 मोहनलाल पुत्र स्व.कासूराम
   जाति बिश्नोई निवासी उदाणियो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटस

1. नाराणाराम पुत्र मंगला
2. साजन पुत्र मंगला
3. लाला पुत्र मंगला
4. किशन पुत्र जीवाराम
5. भैराराम पुत्र जीवाराम
6. बबूलाल पुत्र जीवाराम
7. जगदीश पुत्र जीवाराम
8. शान्ति पत्नी जीवाराम
9. विरधाराम पुत्र आसूराम
   जाति बिश्नोई निवासी उदाणियो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 15.12.2010 द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी।

उपस्थित– 1. अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस स्वयं उपस्थित।

निर्णय **दिनांक 23.6.2017**

1. संक्षेप में अपीलांटस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 1141, 1142 , 1146, 1324, 1325, 1326, 1326/2 एवं 1328 कुल रकबा 404 बीघा 07 विस्वा मौज़ा उदाणियो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी में आई हुई है। रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 ने खसरा नंबर 1141, 1142 व 1146 रकबा क्रमशः 54 बीघा 11 बिस्वा, 29 बीघा 08 बिस्वा एवं 90 बीघा 12 बिस्वा भूमि का विभाजन वास्तविक कब्जे काश्त अनुसार एवं हिस्सो के अनुपात में करवाये हेतु अपीलांटस को विश्वास में लेकर हल्का पटवारी से मिलीभगत कर उक्त आराजी के साथ कपट पूर्वक खसरा नंबर 1324, 1325, 1326, 1326/2 एवं 1328 का भी उल्लेख करते हुए विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष पेश किये। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपीलांटस की अनुपस्थिति में तैयार दस्तावेजात के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2010 पारित कर दिया। इस आदेश से व्यथीत होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पेश की है। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ''न्याय आपके द्वार'' के तहत राजस्व केम्प कोर्ट गुड़ामालानी में पेश हुई, जिसके लिये अभय पक्ष के अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस स्वयं उपस्थित हुए।

3. अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस द्वारा संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि हम समस्त पक्षकारान के मध्यम मौजा उदाणियों की ढाणी के खसरा नंबर 1141, 1142, 1146, 1324, 1325, 1326, 1326/2 एवं 1328 कुल रकबा 404 बीघा 07 बिस्वा के विभाजन के सम्बन्ध में जो विवाद था, वो हमने आपस में बैठकर सुलझा लिया है तथा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाना चाहते है। अतः प्रकरण तहसीलदार गुड़ामालानी को प्रेतिप्रेषित कर पूर्व में किये गये बंटवारा आदेश को निरस्त करवाते हुए पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त अनुसार पुनः बंटवाड़ा आदेश पारित कराने हेतु आदेशित करावें।

4. हमने अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस के कथनो पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 15.12.2010 के विरूद्व पेश की है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 1141, 1142 , 1146, 1324, 1325, 1326, 1326/2 एवं 1328 कुल रकबा 404 बीघा 07 विस्वा मौजा उदाणियो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी में आई हुई है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन कराने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। पक्षकारान प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना के मध्यनजर कराना चाहते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांटस नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2010 को अपास्त किया जाता है और तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार खातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राज.)

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश कोर्ट केम्प गुड़ामालानी में आज दिनांक 23.6.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)